


तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व अहकाम ज हुकम की में जारी ह
14/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी वकील उप०।</p> <p>प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम कानासर, पटवार हल्का कानासर, भु- अभिलेख निरीक्षक- कानासर तह० शिव के खसरा नम्बर 640/382 रकबा 98.16 बीघा भूमि आई हुई है।</p> <p>प्रार्थीनी की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढा ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीनी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते हैं। तथा प्रार्थीनी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।</p> <p>प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 19 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए।</p> <p>अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 19 के सम्मन तामिल हो गए हैं। सम्मन तामिल होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीनी वकील की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थीनी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।</p> <p>अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थीनी की पक्की नेखमबन्दी की मांग स्वीकार करने योग्य है।</p>	

— आदेश —

अतः प्रार्थिनी श्रीमती कानूदेवी पत्नी मगाराम, जाति— जाट, नि० गरल तह० बाडमेर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कानासर, पटवार मण्डल कानासर, भु— अभिलेख निरीक्षक — कानासर, तह० शिव के खसरा नम्बर 640/382 रकबा 98.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/— रूपये प्रार्थिनी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

उपखण्ड अधिकारी  
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :- 09/2018

क्रमांक/आवेदन/19/2787

दिनांक-17.06.2019

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
कानूदेवी पत्नी मगाराम, जाति- जाट, नि० गरल, तह० बाड़मेर		भंवरा पुत्र समद वगैरा (19)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम		

आदेश

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थीनी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में ग्राम कानासर, पटवार हल्का कानासर, भू- अभिलेख निरीक्षक - कानासर के खेत खसरा नम्बर 640/382 रकबा 98.16 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीनी कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थीनी के खसरो की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/आवेदन/19/2788 - 2793

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी कानासर को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थीनी कानूदेवी पत्नी मगाराम को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण भंवरा पुत्र समद वगैरा (19) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी  
शिव

दिनांक-17.06.2019

उपखण्ड अधिकारी  
शिव

